



सत्यमेव जयते

कार्यालय

आयकर आयुक्त (छूट)

यू.पी. स्टेट कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,
टी.सी.-46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

ट्रस्ट/संस्थान का नाम : जनता वैदिक शिक्षा एवं सेवा समिति,
पता : पत्रालय एवं तहसील - मेहदावल, जनपद - संत कबीर नगर,
(उ०प्र०)
पैन : AAATJ9610P
आदेश तिथि : 02.08.2016

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 254/80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन

उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 11.04.2016 को प्रस्तुत किया गया है द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश संख्या ITA No. 722/LKW/2014 दिनांक 23.03.2015 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था।

आयकर आयुक्त, फैजाबाद के आदेश दिनांक 09.07.2014 के विरुद्ध उपर्युक्त आवेदक ट्रस्ट ने माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की थी। माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने आदेश संख्या ITA No. 722/LKW/2014 दिनांक 23.03.2015 के द्वारा आयकर आयुक्त, फैजाबाद द्वारा पारित आदेश को दोबारा संबंधित ट्रस्ट को मौका देते हुए आदेश पारित करने (set aside) हेतु निर्देशित किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 01.04.2006 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यू०आर०एन०) 142/2007-08 के अन्तर्गत दिनांक 21.09.2007 को विद्वान आयकर आयुक्त, फैजाबाद के आदेश द्वारा किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 02.08.2016 की प्रभावी तिथि से विद्वान आयकर आयुक्त, (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि **जनता वैदिक शिक्षा एवं सेवा समिति, पत्रालय एवं तहसील - मेहदावल, जनपद - संत कबीर नगर, (उ०प्र०)** को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. यह अनुमोदन दिनांक 02.08.2016 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस न ले लिया जाए।



(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह ट्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता, प्राप्ति रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेंस सीट) सहित आई.टी.आर.-7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) आधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) एवं आदेश की तिथि अवश्य अंकित की जानी होगी।

धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए, धारा 12ए(1)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संस्थान में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख-रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।

हो
(पी०के० बजाज)

आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।

फा०सं०: आ०आ०(छूट)/लख०/80जी/2016-17/17/5-128
प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:- 02.08.2016

1. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), रेंज लखनऊ।

2. आयकर उप/सहायक आयुक्त(छूट), सर्किल लखनऊ।

3. आयकर अधिकारी (छूट), लखनऊ को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास को धारा 80जी के अन्तर्गत अनुमोदन मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 80जी के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास कटौती के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं, यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो इसे कटौती उपलब्ध नहीं होगी तथा धारा 80जी के अन्तर्गत उसका अनुमोदन रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

✓ 4. आवेदक।



गोमय्यावास्तव
(विनय कुमार श्रीवास्तव)

आयकर अधिकारी(मु०)
कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
लखनऊ।